झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या...06......... वर्ष 20..22..

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री जितन मरांडी, ग्राम-दुखियाडीह, पो0-बुद्धुडीह, पं0-राशनजोरी, गाण्डेय, गिरिडीह

DISPOSED
28/03/2022

बनाम

प्रतिवादी 1. जिला समाज कल्याण पदा0, गिरिडीह

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता श्री जीतन मराण्डी एवं अन्य, ग्राम–दुखियाडीह, पो0–बुद्धूडीह, पंचायत–राशनजोरी, गाण्डेय, गिरिडीह का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता श्रीमती उषा देवी पर अपने पद का दुरुपयोग करने, आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषाहार कार्यक्रम के तहत् प्राप्त सामग्रियों का नियमित वितरण नहीं करने आदि का शिकायत किया गया है। उक्त मामले को आयोग द्वारा गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.02.2022 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान पर स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। Ranjan 31/01/2022 C.S.C के द्वारा सहमति नहीं प्राप्त होने की वजह से whatsapp एवं video call के माध्यम से अपीलकर्त्ता को सूचित किये। Ranjan 17/02/2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश...